रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 843] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939
No. 843] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ASVINA 21, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1265(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2017 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 में, क्रम संख्यांक 104 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	उद्योग	मानदंड	मानक	
1	2	3	4	
		बहिस्राव निस्सारण मानक (निपटान के सभी ढंगों को लागू)		
“105	मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)		अवस्थान	सांद्र का निम्नलिखित से अधिक न होना
			(क)	(ख)
		पीएच	देश में कहीं भी	6.5-9.0
		जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी)	महानगर* अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर राज्यों और	

			अंदमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव और लक्षद्वीप के सिवाय, सभी राज्यों की राजधानी।	
			ऊपर उल्लिखित से भिन्न क्षेत्र/प्रदेश	30
		कुल निलंबित ठोस पदार्थ (टीएसएस)	महानगर* अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर राज्यों और अंदमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव और लक्षद्वीप के सिवाय, सभी राज्यों की राजधानी।	<50
			ऊपर उल्लिखित से भिन्न क्षेत्र/प्रदेश	<100
		फेकल कोलीफॉर्म (एफसी) (अतिसंभाव्य संख्या प्रति 100 मिलीलिटर एमपीएन/100 मिलीलिटर	देश में कहीं भी	<1000

*मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे महानगर हैं।

टिप्पण :

(i) पीएच और फैकल कौलीफॉर्म के सिवाय, मिलीग्राम/लिटर में सभी मूल्य।

(ii) ये, मानक जलाशयों में निस्सारण और भूमि निपटान/अनुप्रयोगों के लिए लागू होंगे।

(iii) फैकल कौलीफॉर्म के लिए मानक औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपचारित बहिस्रांव के उपयोग के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

(iv) ये मानक 1 जून, 2019 को या उसके पश्चात् कमीशन किए जाने वाले सभी मल उपचार संयंत्रों (एसटीपी) को लागू होंगे और पुराने/विद्यमान मल उपचार संयंत्र (एसटीपी) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर इन मानकों को प्राप्त करेंगे।

(v) समुद्र में उपचारित बहिस्रांव के निस्सारण के मामले में, इसे उचित समुद्री मुहाने के माध्यम से किया जाएगा और विद्यमान तट निस्सारण को समुद्री मुहानों में संपरिवर्तित किया जाएगा और उन मामलों में, जहां समुद्री मुहाना निस्सारण के बिन्दु पर 150 गुणा न्यूनतम आरम्भिक तनुकरण और निस्सारण बिन्दु से दूर 100 मीटर के किसी बिन्दु पर 1500 गुणा न्यूनतम तनुकरण प्रदान करता है, तब विद्यमान सन्नियम साधारण निस्सारण मानकों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार लागू होंगे।

(vi) उपचारित बहिस्रांव का पुनःउपयोग/पुनःचक्रण तथा उन मामलों में, जहां उपचारित बहिस्रांव के भाग का पुनःउपयोग और पुनःचक्रण किया जाता है जिसमें मानवीय सम्पर्क की सम्भावना अन्तर्वलित है, ऊपर यथा विनिर्दिष्ट मानक लागू होंगे।

(vii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए, अधिक कठोर सन्नियम जारी कर सकेगा/कर सकेंगी।

[फा. सं. क्यू-15017/2/2008/-सीपीडब्ल्यू]

अरुण कुमार मेहता, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे, अर्थात् :— का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2010; सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010; सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.नि. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011; सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सा.का.नि. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2012; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.नि. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.नि. 771(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2013; सा.का.नि. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सा.का.नि. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014; सा.का.नि. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014; सा.का.नि. 612(अ), तारीख 25 अगस्त, 2014; सा.का.नि. 789(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2014; का.आ. 3305(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2015; का.आ. 4(अ), तारीख 1 जनवरी, 2016; सा.का.नि. 35(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016; सा.का.नि. 281(अ), तारीख 7 मार्च, 2016; सा.का.नि. 496(अ), तारीख 9 मई, 2016; सा.का.नि. 497(अ), तारीख 10 मई, 2016; सा.का.नि. 978(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2016; और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1016(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R. 1265(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, after serial number 104 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Industry	Parameters	Standards	
1	2	3	4	
		Effluent discharge standards (applicable to all mode of disposal)		
"105	Sewage Treatment Plants (STPs)		Location	Concentration not to exceed
			(a)	(b)
		pH	Anywhere in the country	6.5-9.0
		Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD)	Metro Cities*, all State Capitals except in the State of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya Mizoram, Nagaland, Tripura Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, and Union territory of	20

			Andaman and Nicobar Islands, Dadar and Nagar Haveli Daman and Diu and Lakshadweep	
			Areas/regions other than mentioned above	30
		Total Suspended Solids (TSS)	Metro Cities*, all State Capitals except in the State of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya Mizoram, Nagaland, Tripura Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir and Union territory of Andaman and Nicobar Islands, Dadar and Nagar Haveli Daman and Diu and Lakshadweep	<50
			Areas/regions other than mentioned above	<100
		Fecal Coliform (FC) (Most Probable Number per 100 milliliter, MPN/100ml	Anywhere in the country	<1000

*Metro Cities are Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad and Pune.

Note :

(i) All values in mg/l except for pH and Fecal Coliform.

(ii) These standards shall be applicable for discharge into water bodies as well as for land disposal/applications.

(iii) The standards for Fecal Coliform shall not apply in respect of use of treated effluent for industrial purposes.

(iv) These Standards shall apply to all STPs to be commissioned on or after the 1st June, 2019 and the old/existing STPs shall achieve these standards within a period of five years from date of publication of this notification in the Official Gazette.

(v) In case of discharge of treated effluent into sea, it shall be through proper marine outfall and the existing shore discharge shall be converted to marine outfalls, and in cases where the marine outfall provides a minimum initial dilution of 150 times at the point of discharge and a minimum dilution of 1500 times at a point 100 meters away from discharge point, then, the existing norms shall apply as specified in the general discharge standards.

(vi) Reuse/Recycling of treated effluent shall be encouraged and in cases where part of the treated effluent is reused and recycled involving possibility of human contact, standards as specified above shall apply.

(vii) Central Pollution Control Board/State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may issue more stringent norms taking account to local condition under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986".

[F. No. Q-15017/2/2008-CPW]

ARUN KUMAR MEHTA, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:—

S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 176(E) dated the 2nd April, 1996; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March , 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July,2009; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated the 4th October, 2010, G.S.R.

215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; and G.S.R. 277 (E), dated the 31st March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176 (E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 7th May, 2014; G.S.R. 612, (E), dated the 25th August 2014; G.S.R. 789(E), dated the 11th November 2014; S.O. 3305(E), dated the 7th December, 2015; S.O.4(E), dated the 1st January 2016; G.S.R. 35(E), dated the 14th January 2016; G.S.R. 281 (E), dated the 7th March, 2016; G.S.R. 496(E), dated the 9th May, 2016; G.S.R.497(E), dated the 10th May, 2016; G.S.R.978(E), dated the 10thOctober, 2016; and lastly amended vide notification G.S.R. 1016(E), dated the 28th October, 2016.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.10.17 17:32:27 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.